UPBS120006172021

न्यायालय CIVIL JUDGE (J.D. KLD. at BASTI), Basti

पीठासीन अधिकारी– (DIKSHA AGARWAL), (उ०प्र० न्यायिक सेवा)– UP03335

मूलवाद सं० 481/2021

तुलसीराम बनाम बाबूराम आदि

01.04.2022

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर वादी मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली आज प्रार्थनापत्र 22 क ^{2} के निस्तारण हेतु नियत है।

वादी द्वारा प्रार्थनापत्र 22 क ^{2} प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि दौरान मुकदमा वादी तुलसीराम की मृत्यु दिनांक 27.10.2021 को हो गई है। मृतक के विधिक वारिस उनकी पत्नी, पुत्रगण एवं उनकी पुत्री हैं। इनके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं हैं। अतः मृतक के विधिक वारिसानों को उनके स्थान पर प्रतिस्थापित किये जाने की याचना की गयी है।

प्रार्थनापत्र 22 क ^{2} पर आपत्ति करने हेतु प्रतिवादी उपस्थित नहीं है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि वादी द्वारा प्रार्थनापत्र 22 क ^{2} वादी तुलसीराम की मृत्यु होने के फलस्वरूप उनके विधिक वारिसों को वादपत्र में प्रतिस्थापित किए जाने के आशय से दिया गया है। प्रार्थनापत्र शपथपत्र से समर्थित है एवं अन्दरमियाद है। प्रस्तावित वारिसान जरिए वकालतनामा कागज सं० 24 ग 2 हाजिर हैं। प्रार्थनापत्र स्वीकार किए जाने से वाद के निस्तारण में सहूलियत होगी एवं अनावश्यक वाद बहुलता कम होगी। अतः उपरोक्त समग्र विवेचना के दृष्टिगत प्रार्थनापत्र 22 क ^{2} स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थनापत्र 22 क ^{2} स्वीकार किया जाता है। वादी आवश्यक संशोधन अन्दर सप्ताह करे। पत्रावली वास्ते वादोत्तर/वादबिन्दु दिनांक 10.05.2022 को पेश हो।

सिविल जज (जू०डि०),
खलीलाबाद स्थान–बस्ती।